

प्रेस नोट दिनांक-25.09.2019

(1). श्री मनोज कुमार झा पुलिस अधीक्षक चित्रकूट को कुशल निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 04 अभियुक्तों को 30 लीटर कच्ची शराब तथा 22 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(i). श्री गुलाब त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक थाना राजापुर तथा उनकी टीम द्वारा भभेंट लिंक रोड वहद ग्राम भभेंट से अभियुक्त हनुमानदीन सोनी पुत्र माताबदल निवासी सुनहरठी कस्बा व थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में मु0अ0सं0 158/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

10 लीटर कच्ची शराब

बरामदगी करने वाली टीम:-

1. श्री गुलाब त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक थाना राजापुर
2. मुख्य आरक्षी राजबहादुर
3. आरक्षी अजय कुमार

(ii). श्री तपेश कुमार मिश्रा चौकी प्रभारी सरैया तथा उनकी टीम द्वारा वहद ग्राम कटहापुरवा से अभियुक्त जितेन्द्र कुमार मिश्रा उर्फ बरातीलाल पुत्र छोटेलाल निवासी कटहापुरवा मजरा गढ़चपा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 22 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 136/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

22 क्वार्टर देशी शराब

बरामदगी करने वाली टीम:-

1. श्री तपेश कुमार मिश्रा चौकी प्रभारी सरैया
2. आरक्षी राजकुमार
3. आरक्षी प्रशांत कुमार
4. आरक्षी सर्वेश कुमार

(iii). श्री राजेश कुमार मिश्रा चौकी प्रभारी भरतकूप तथा उनकी टीम द्वारा गौड़ा मोड़ से अभियुक्त धीरू पुत्र बाबू गुप्ता निवासी गौड़ा चौकी भरतकूप थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 700/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

10 लीटर कच्ची शराब

बरामदगी करने वाली टीम:-

1. श्री राजेश कुमार मिश्रा चौकी प्रभारी भरतकूप
2. मुख्य आरक्षी प्रभूदयाल सिंह
3. आरक्षी अभिनव त्रिपाठी

(iv). श्री अजय कुमार प्रभारी चौकी जिला अस्पताल तथा उनकी टीम द्वारा गणेश बाग के पास से अभियुक्त लवकुश पुत्र कल्लू निषाद निवासी कुली तलैया थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 701/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

10 लीटर कच्ची शराब

बरामदगी करने वाली टीम:-

1. श्री अजय कुमार प्रभारी चौकी जिला अस्पताल
2. उ0नि0 श्री सुरेश कुमार यादव
3. आरक्षी अंकित शुक्ला

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के कुशल निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 वाँछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

(i). श्री अरूण कुमार पाठक प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री राधेश्याम तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 132/19 धारा 498ए/304बी भादवि0 व ¼ द0प्रथा के वाँछित अभियुक्त बउआ उर्फ मिथलेश कुमार पुत्र नायबलाल केवट निवासी बालापुर मजरा अहिरी थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री राधेश्याम थाना मऊ
2. आरक्षी गोविन्दा
3. आरक्षी दिनेश कुमार

(ii). श्री जयशंकर सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना पहाड़ी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री बृजेश पाण्डेय थाना पहाड़ी तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 84/19 व 85/19 धारा 419/420/467/468/471/120बी तथा मु0अ0सं0 154/19 धारा 419/420/467/468/471/506/ 120बी के वाँछित अभियुक्त नरेन्द्र कुमार पाण्डेय पुत्र चन्द्रशेखर प्रसाद पाण्डेय निवासी इटौरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री बृजेश पाण्डेय थाना पहाड़ी
2. उ0नि0 श्री शिवमणि मिश्रा

(3). आज दिनांक-25.09.2019 को पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट के निर्देशन में पुलिस कार्यालय सोनेपुर में स्थापित परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा पति-पत्नी के आपसी झगड़े को समाप्त कराकर पति पत्नी में सुलह कराते हुये शादी के अटूट बन्धन को टूटने से बचाकर दोनों का मिलन कराया गया।

उल्लेखनीय है कि श्रीमती नीता देवी पत्नी शोभालाल पाल निवासी असोह थाना पहाड़ी का प्रार्थना पत्र पति द्वारा प्रताड़ित करने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पत्नी को पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र जाने का सुझाव दिया गया। परिवार परामर्श केन्द्र में नियुक्त उ0नि0 श्री शेरसिंह पाल, मुख्य आरक्षी अरूण कुमार तथा महिला आरक्षी मंजूलता पाल द्वारा पत्नी की शिकायतों को विस्तारपूर्वक समझकर महिला के पति को समझाया गया। पति शोभालाल पाल पुत्र मोहनलाल निवासी असोह थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट द्वारा भविष्य में अपनी पत्नी श्रीमती नीता देवी निवासी असोह के साथ किसी भी प्रकार का विवाद न करने हेतु कहा गया। शिकायतकर्त्री श्रीमती नीता देवी एवं उसके पति में आपसी सुलह होने पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दोनों को साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं पति-पत्नी के कर्तव्यों का सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी तथा यह भी कहा गया कि भविष्य में उपरोक्त पति द्वारा किसी भी प्रकार का विवाद न किया जाये, दोनों पति पत्नी आपस में तारतम्यता बिठाकर मिलजुल कर रहें।